(10)

पत्रांक–वित्त (SFC)–31/01/2024-11/वि0आ0
झारखण्ड सरकार
राज्य वित्त आयोग

राँची, दिनांक 18/03/2024

प्रेषकः

सदस्य सचिव
राज्य वित्त आयोग
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

श्री हरीश्वर दयाल,
सदस्य, राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, राँची

निदेशक
पंचायती राज निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

निदेशक,
नगरीय प्रशासन, झारखण्ड, राँची।

नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम।

विषयः– **अध्यक्ष, पंचम राज्य वित्त आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 21.03.2024 को विकास आयुक्त के सभाकक्ष में शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व संग्रहण कर, सेस, राजस्व के स्त्रोतों, विभिन्न एजेन्सी से मिलने वाले अनुदानों पर विचार विमर्श हेतु बैठक।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–526/वि0आ0, दिनांक 23–02–2024 के द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। उक्त राज्य वित्त आयोग को राजस्व, कर एवं अनुदानों का राज्य एवं शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरण से संबंधित अनुशंसा किया जाना है। इस हेतु पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के वर्तमान में राजस्व के स्त्रोतों, राजस्व संग्रहण की स्थिति, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को दी गई शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि पर विचार विमर्श हेतु दिनांक 21.03.2024 (गुरूवार) को अध्यक्ष, पंचम राज्य वित्त आयोग की अध्यक्षता में योजना भवन स्थित विकास आयुक्त सभाकक्ष में अपराहन् 01:00 बजे से एक बैठक आहूत की गई है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में ससमय वांछित अभिलेखों के साथ उपस्थित होने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

18.3

सदस्य सचिव
राज्य वित्त आयोग।

(9)

ज्ञापांक – वित्त (SFC)–31/01/24.....11...../वि0आ0 राँची, दिनांक 18/03/2024

प्रतिलिपिः– सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्री अविनाश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सदस्य सचिव
राज्य वित्त आयोग।

ज्ञापांक – वित्त (SFC)–31/01/24.....11...../वि0आ0 राँची, दिनांक 18/03/2024

प्रतिलिपिः– श्री रंजन कुमार, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य वित्त आयोग/श्री अविनाश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सदस्य सचिव
राज्य वित्त आयोग।

बैठक का एजेण्डा

1. केन्द्र एवं राज्य से मिलने वाली अनुदान राशि।
2. राज्य की तरफ से शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में।
3. आदिम जनजाति की जनसंख्या बहूल्य वाले पंचायतों की संख्या एवं नाम।
4. उत्खनन प्रभावित पंचायतों की संख्या एवं नाम।
5. DMFT FUND के परिचालन के संबंध मे।
6. पंचायतों एवं नगर निकायों का प्रशासनिक संरचना एवं दायित्व।
7. शहरी निकायों पंचायती राज संस्थाओं के डिजीटलीकरण एवं आधुनिकीकरण की स्थिति।
8. निकायों/पंचायतों के कुल राजस्व एवं व्यय में अपने स्त्रोत से प्राप्त राशि का अंश।
9. केन्द्रकृत निगरानी व्यवस्था/प्रकिया।
10. स्थापना व्यय का कितना अंश एवं राजस्व से पूरा होता है।
11. कितने नगर निकाय हैं जिनका पूरा स्थापना व्यय अपने राजस्व से पूरा होता है।